

हो। गैरसायल को अन्तर्गत धारा 91(3) राजस्थान भू-राजस्थान अधिनियम 1956 के तहत नोटिस जारी हो। पत्रावली आयन्दा दिनांक को पेश हो।

29/9/2017

हसीलदार, विद्या बड़ी
(बानीरियावाड़ा)

675
12/9/2017

29/9/2017 पत्रावली के माध्यम से जैर संपन्न इजारी राय
उपरोक्त हुआ एवं सुना गया। पत्रावली का प्रकाशन
किता संकेत में कि पत्रावली 24 अक्टूबर है कि
परकारी हुक्मा प्रमाणित जैर को रिहा भी है
संख्या 0 899 एका 0.0100 एवम् कि इस भूमि
में 01 अक्षा 07 अक्षा 20 अक्षा इजारी राय का
दीरा सम जैर का 12 अक्षा 12 अक्षा लीम के
किता 12 अक्षा 12 अक्षा 12 अक्षा 12 अक्षा 12 अक्षा
वाग्राज का 12 अक्षा 12 अक्षा 12 अक्षा 12 अक्षा 12 अक्षा
12 अक्षा 12 अक्षा 12 अक्षा 12 अक्षा 12 अक्षा 12 अक्षा
जिस पर इस अधिनियम में सम्बन्ध प्रकाशित है
कार जैर संपन्न के किता 12 अक्षा 12 अक्षा 12 अक्षा 12 अक्षा 12 अक्षा
की पत्रावली के अन्तर्गत नोटिस जारी किया
गया जैर संपन्न उपरोक्त हुआ एवं सुना गया
सम्बन्धित भूमि में 01 अक्षा 07 अक्षा 20 अक्षा

Handwritten signature and scribbles in blue ink.

Handwritten signature at the bottom left.

